विधान सभा संबंधी कार्य/अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप–2)

क्रमांकः प.11(1)विधि/2/2021 जयपुर, दिनांकः 21 JAN 2021

परिपत्र

विषयः–पंद्रहवीं राजस्थान विधान सभा के बजट सत्र में लिये जाने वाले विधायी कार्यों के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि पंद्रहवीं राजस्थान विधान सभा का बजट सत्र माह फरवरी, 2021 में प्रारम्भ होने की संभावना है। सामान्यतः यह देखा गया है कि विधान सभा सत्र प्रारम्भ होने की अधिसूचना जारी होने के पश्चात ही, प्रशासनिक विभाग अपने विधायी प्रस्तावों पर कार्यवाही प्रारम्भ करते हैं, जिससे विधेयकों को विधान सभा में पुरःस्थापित किये जाने की कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब होने की सम्भावना रहती है। विधान सभा की कार्य सलाहकार समिति की बैठकों में भी विधेयकों के पुरःस्थापन संबंधी कार्यवाही को समय पर सम्पन्न किये जाने की आवश्यकता को इंगित किया जाता रहा है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा द्वारा विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापन करने के प्रस्तावित दिन से सात दिन पूर्व विधान सभा सचिवालय को प्रेषित करने हेतु निदेशित किया गया था।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सचिवालय के समस्त प्रशासनिक विभागों से निवेदन है कि ऐसे विधेयकों, जिन्हें उक्त सत्र में पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव हो, को अन्तिम रूप दिये जाने संबंधी कार्य को राजस्थान कार्यविधि नियमों के नियम 38 से 52 तथा राजस्थान विधि एवं विधिक कार्य विभाग मैन्यूअल, 1999 के नियम 55 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप अविलम्ब पूर्ण कर लेवें। मंत्रिमण्डलीय आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली पर पुरःस्थापन किये जाने वाले विधेयकों के प्रस्ताव मय उद्देश्यों और कारणों का कथन तथा यथा–आवश्यक वित्तीय ज्ञापन तथा प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन के प्रारूपों की हिन्दी एवं अंग्रेजी की अधिप्रमाणित प्रतियां (सॉफ्ट प्रति सहित) संलग्न कर संबंधित विधेयक प्रस्ताव विधि (ग्रुप–2) विभाग में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें विधान सभा के बजट सत्र में पुरःस्थापित किये जाने की कार्यवाही समय पर किया जाना सम्भव हो सके।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

21.1.2021

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं त्वरित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मन्त्री महोदय, विधि एवं विधिक कार्य, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
4. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त प्रशासनिक विभागों के सचिवगणों को ई–मेल करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

21.1.2021

विशिष्ट शासन सचिव